

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

विज्ञप्ति

इस प्राधिकरण के मुख्यालय कार्यालय में निम्नलिखित पदों पर प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा आधार पर, चयन हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्र.	पदनाम	अनुमानित पदों की संख्या
1.	सहायक प्रबंधक (प्रयोगशाला/संकाय)	02
2.	सहायक वर्ग-1	02
3.	लेखापाल	01
4.	सहायक ग्रेड-2	11
5.	सहायक वर्ग-3	03

प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा आधार नियुक्ति हेतु पूर्णतः भरे हुये आवेदन जमा करने की अन्तिम दिनांक **26/07/2023** है। यह संक्षिप्त विज्ञप्ति है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विज्ञप्ति, उक्त पदों हेतु वेतन, न्यूनतम अर्हताएं, आयु सीमा, पदस्थापना एवं आवेदन पत्र का प्रारूप इत्यादि अन्य जानकारी, विभागीय बेवसाईट <http://mprrda.org> पर उपलब्ध है।

क/10480 दिनांक 04/07/2023

417/2023

मुख्य महाप्रबंधक (प्रशा.)

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

पर्यावास भवन, खण्ड-2, पंचम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र10480/22/वि-12/विज्ञा. 01-2023/2023

भोपाल, दिनांक 4/7/2023

विज्ञप्ति

इस प्राधिकरण मुख्यालय एवं म.प्र. ग्रामीण सड़क अकादमी में निम्नलिखित पदों पर प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा आधार पर पदस्थापना हेतु, अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं : -

क्र	पदनाम	प्रतिनियुक्ति/ संविदा हेतु समकक्ष वेतनमान	नियुक्ति का प्रकार	अधिकतम आयु सीमा	प्रतिनियुक्ति/संविदा के लिए न्यूनतम अर्हताएं	अनुमानित पद संख्या	पद स्थापना
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायक प्रबंधक (प्रयोगशाला / संकाय)	म.प्र. शासन के 7 वें वेतनमान के पे मेट्रिक्स लेवल 12 रु. 56100-177500	प्रतिनियुक्ति	58 वर्ष	राज्य शासन के कार्य विभागों, म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कम्पनियों, केन्द्र एवं राज्य शासन के निगम, मण्डल व उपक्रम में कार्यरत सहायक यंत्री (सिविल) जिन्हें 5 वर्ष का फील्ड का अनुभव हो, अथवा 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके सिविल इंजीनियरिंग डिग्रीधारी उपयंत्री, जिन्हें 5 वर्ष का फील्ड का अनुभव हो, अथवा डिप्लोमाधारी उपयंत्री (सिविल) जिन्हें 12 का फील्ड का अनुभव हो।	02	म.प्र. ग्रामीण सड़क अकादमी
		अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में से पेंशन एवं राहत राशि घटाकर	से.नि. उपरांत संविदा	63 वर्ष	राज्य शासन के कार्य विभागों, म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कम्पनियों, केन्द्र एवं राज्य शासन के निगम, मण्डल व उपक्रम से सेवानिवृत्त सहायक यंत्री (सिविल) जिन्हें सहायक यंत्री के पद पर कम से कम 5 वर्ष अथवा डिग्रीधारी उपयंत्री के रूप में 8 वर्ष अथवा डिप्लोमाधारी उपयंत्री के रूप में 12 वर्षों का फील्ड का अनुभव हो अथवा ऐसे सेवानिवृत्त उपयंत्री जो प्राधिकरण में सहायक प्रबंधक पद पर कार्य कर चुके हैं अथवा मूल विभाग में प्रभारी सहायक यंत्री के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष फील्ड में कार्य कर चुके हैं।		
2	सहायक वर्ग-1	वेतन बैंड में वेतन रुपये 5200-20200/- ग्रेड वेतन रुपये 2800/-	प्रतिनियुक्ति	58 वर्ष	म.प्र. शासन के विभागों/निगमों/मण्डलों में कार्यरत ऐसे सहायक ग्रेड-1 जिन्हें इस पद पर विज्ञापन जारी दिनांक को 5 वर्ष का अनुभव हो।	02	प्राधिकरण मुख्यालय
		अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में से पेंशन एवं राहत राशि घटाकर	से.नि. उपरांत संविदा	63 वर्ष	म.प्र. शासन के विभागों/निगमों/ मण्डलों से सेवा निवृत्त सहायक ग्रेड-1		
3	लेखापाल	ग्रेड पे 2800 सातवें वेतनमान के पे मेट्रिक्स लेवल-7 रुपये 28700-91300	प्रति नियुक्ति	58 वर्ष	म.प्र. शासन/केन्द्र शासन के किसी भी विभाग एवं राज्य/केन्द्र शासन के प्राधिकरण/निगम/मंडल अथवा अन्य उपक्रमों में लेखापाल अथवा सहायक ग्रेड-1 के पद पर 5 वर्ष से कार्यरत कर्मी। ऐंसें अभ्यर्थी आवेदन-पत्र अपने विभागाध्य कार्यालय के माध्यम से अग्रेषित कराकर प्रेषित करेंगे।	01	म.प्र. ग्रामीण सड़क अकादमी

क्र	पदनाम	प्रतिनियुक्ति/ संविदा हेतु समकक्ष वेतनमान	नियुक्ति का प्रकार	अधिकतम आयु सीमा	प्रतिनियुक्ति/संविदा के लिए न्यूनतम अर्हताएं	अनुमानित पद संख्या	पद स्थापना
		अंतिम वेतन में से पेंशन घटाकर	से.नि. उपरांत संविदा	63 वर्ष	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता : 1. राज्य/केन्द्र शासन के किसी भी विभाग से लेखापाल अथवा सहायक ग्रेड-1 के पद पर सेवानिवृत्त हुए हो तथा जिन्हें निर्माण कार्य विभाग/प्राधिकरण/निगम/मंडल अथवा अन्य उपक्रमों में लेखापाल के कार्यों का 5 वर्ष का अनुभव हो। 2. म.प्र. शासन से लेखा परीक्षा उत्तीर्ण हो। 3. न्यूनतम एक विषय एकाउन्ट के साथ स्नातक। अथवा 1. न्यूनतम एक विषय एकाउन्ट के साथ स्नातक। 2. मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था से डी.सी.ए.। वांछनीय योग्यता एवं अनुभव : 1. टैली एकाउन्टिंग सॉफ्टवेयर पर कार्य करने में दक्षता। 2. इंटरनेट एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने में दक्षता। 3. संस्थागत (डबल एन्ट्री) लेखा संबंधी कार्यों को संपादित करने में दक्षता।		
4	सहायक वर्ग-2	वेतन बैंड में वेतन रुपये 5200-20200 अधिकतम ग्रेड वेतन रुपये 2400/-	प्रतिनियुक्ति	58 वर्ष	म.प्र. शासन के विभागों/निगमों/मण्डलों में कार्यरत सहायक ग्रेड-2 जिन्हें इस पद पर 5 वर्षों का अनुभव हो।	11	प्राधिकरण मुख्यालय
		अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में से पेंशन एवं राहत राशि घटाकर	से.नि. उपरांत संविदा	63 वर्ष	म.प्र. शासन के विभागों/निगमों/मण्डलों से सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-2		
5	सहायक वर्ग-3	वेतन बैंड में वेतन रुपये 5200-20200/- ग्रेड वेतन रुपये 1900/-	प्रतिनियुक्ति	58 वर्ष	म.प्र. शासन के विभागों/निगमों/मण्डलों में कार्यरत ऐसे सहायक ग्रेड-3 जिन्हें इस पद पर विज्ञापन जारी दिनांक को 5 वर्ष का अनुभव हो।	03	प्राधिकरण मुख्यालय
		अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में से पेंशन एवं राहत राशि घटाकर	से.नि. उपरांत संविदा	63 वर्ष	म.प्र. शासन के विभागों/निगमों/मण्डलों से सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-3		

* सरल क्र. 1 पर उल्लेखित सहायक प्रबंधक (प्रयोगशाला) के पद हेतु कार्य विभाग/निगम/मंडल/प्राधिकरण में पूर्व में कार्यरत रहे अभियंताओं को जिन्हें प्रयोगशाला कार्य में न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो, को प्राथमिकता दी जावेगी।

** सरल क्र. 5 पर उल्लेखित सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु कार्य विभाग/निगम/मंडल/प्राधिकरण में पूर्व में कार्यरत रहे कर्मियों को जिन्हें स्टोर शाखा में न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो, को प्राथमिकता दी जावेगी।

चयन की शर्त :-

(अ) सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा हेतु

- उपरोक्त समस्त के पदों की पूर्ति हेतु प्राप्त आवेदनों में योग्य/न्यूनतम योग्यताधारी अभ्यर्थियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर उनके मूल विभाग से सेवाकाल के अंतिम पांच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग एवं विभागीय जांच इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जावेगी। मूल विभाग से प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग में कम से कम तीन वर्षों में क एवं इससे उच्च तथा एक भी वर्ष में घ न हो, के अनुरूप होना चाहिये।
- अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच संस्थित ना हो लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध ना हो विजिलेंस इन्क्वायरी एवं न्यायालय में आपराधिक प्रकरण में

चालान प्रस्तुत नहीं होना चाहिए। यदि अभ्यर्थियों के विरुद्ध के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित होगी तथा/अथवा लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध पाया जाता है तथा/अथवा विजिलेंस इन्क्वायरी, न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने आदि की जानकारी प्राप्त होने पर उनका चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

3. सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी होने के दिनांक को 63 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सेवक आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से आगामी 6 माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत, अर्थात् दिनांक 30.11.2023 तक सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवक भी आवेदन कर सकेंगे।
4. उपरोक्त चयन प्रक्रिया के अनुसार चयनित अधिकारी/कर्मचारी को संविदा आधार पर दो वर्ष के लिये सक्षम अधिकारी अर्थात् मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा रु. 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध किया जाकर नियुक्ति दी जा सकेगी। नियुक्ति पूर्व अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त किये गये अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। इसके पश्चात आवश्यकता होने पर प्रतिवर्ष कार्य की समीक्षा उपरांत संविदा अधिकारी/कर्मचारी का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रतिवर्ष एक-एक वर्ष की सेवा वृद्धि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सक्षम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।
5. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।
6. संविदा पर नियुक्त संविदा अधिकारियों को आवश्यकतानुसार स्थानांतरित किया जा सकेगा।
7. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज् में एक माह का पारिश्रमिक देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
8. सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा पर पदस्थ किये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी को सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार सेवानिवृत्ति के समय अंतिम मासिक वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर शेष राशि संविदा पारिश्रमिक के रूप में प्रतिमाह देय होगी। जिन विभागों/निगमों/मंडलों आदि में म.प्र. शासन के नियमों के अनुरूप पेंशन का प्रावधान नहीं है, वहां अंतिम मासिक वेतन की 50 प्रतिशत राशि को पेंशन राशि माना जाकर देय पारिश्रमिक की गणना की जावेगी। (उक्त गणना सेवा-निवृत्ति के समय जारी अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र के आधार पर की जावेगी। अर्थात् सेवा-निवृत्ति के पश्चात् आगामी माहों में भूत-लक्ष्यीय प्रभाव से डी.ए. के प्रावधान लागू नहीं होंगे।)
9. संविदा पर नियुक्त सभी अधिकारी/कर्मचारियों पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे। उक्त पद पर कार्य करते हुये यदि उनके विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत कार्य करने की सूचना प्राप्त होती है तो उन्हें सम्यक जांचोपरांत दोषी पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा तत्काल सेवा से पृथक किया जावेगा। प्राधिकरण को संविदा पर नियुक्त अधिकारियों के आचरण/कार्य से

वित्तीय हानि होने की स्थिति में वसूली भू. राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी तथा आवश्यकता होने पर अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जा सकेगा।

10. प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु प्रक्रिया भी सतत रूप से प्रचलित रहेगी। इस प्रक्रिया द्वारा प्राधिकरण को प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपरोक्त पद हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त होते हैं तो सेवानिवृत्त संविदा पर नियुक्त किए गए अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
11. आवेदन पत्र में वांछित सभी अभिलेखों की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
12. अर्हताएं एवं आयु सीमा तथा अनुभव इत्यादि के संबंध में वर्षों की गणना विज्ञापन जारी होने के दिनांक से की जावेगी।
13. विज्ञप्ति में प्रस्तावित पद संख्या अनुमानित हैं, भविष्य में सेवानिवृत्त/मूल विभाग वापसी इत्यादि अन्य कारणों से पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। उपलब्ध पद संख्या अनुसार अभ्यर्थियों को मैरिट के आधार पर चयन सूची में रखा जायेगा। चयन सूची की वैधता अवधि एक वर्ष होगी।
14. संविद अधिकारी को प्रतिवर्ष निम्नानुसार अवकाश की पात्रता होगी –
 - i. आकस्मिक अवकाश – 13 दिवस
 - ii. एच्छिक अवकाश – 03 दिवस
 - iii. चिकित्सा अवकाश – 15 दिवस
15. प्रत्येक पद हेतु पृथक आवेदन प्रस्तुत किया जावे।

(ब) प्रतिनियुक्ति हेतु

1. उपरोक्त समस्त के पदों की पूर्ति हेतु प्राप्त आवेदनों में योग्य/न्यूनतम योग्यताधारी अभ्यर्थियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर उनके मूल विभाग से सेवाकाल के अंतिम पांच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग एवं विभागीय जांच इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जावेगी। मूल विभाग से प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग में कम से कम तीन वर्षों में क एवं इससे उच्च तथा एक भी वर्ष में घ न हो, के अनुरूप होना चाहिये।
2. अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच संस्थित ना हो लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध ना हो विजिलेंस इन्क्वायरी एवं न्यायालय में आपराधिक प्रकरण में चालान प्रस्तुत नहीं होना चाहिए। यदि अभ्यर्थियों के विरुद्ध के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित होगी तथा/अथवा लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध पाया जाता है तथा/अथवा विजिलेंस इन्क्वायरी, न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने आदि की जानकारी प्राप्त होने पर उनका चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
3. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों को मूल विभाग में प्राप्त हो रहा वेतनमान देय होगा अर्थात् अलग से वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते जो कि मूल विभाग में प्राप्त हो रहे हैं परंतु म.प्र. शासन में लागू नहीं हैं, के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनियुक्ति नियम इत्यादि लागू होंगे। प्रतिनियुक्ति अवधि हेतु भी म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के नियम लागू होंगे।
4. साक्षात्कार हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी एवं आवेदन में अंकित मोबाईल नंबर पर सूचना दूरभाष/मैसेज के माध्यम से दी जावेगी। अतः आवेदन पत्र में अपना वर्तमान चलित मोबाईल नंबर दिया जावे।
5. आवेदन पत्र में वांछित सभी अभिलेखों की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है एवं साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जावे।
6. अर्हताएं एवं आयु सीमा तथा अनुभव इत्यादि के संबंध में वर्षों की गणना विज्ञापन जारी होने के दिनांक से की जावेगी।
7. आवेदन पत्र में वांछित सभी अभिलेखों की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
8. विज्ञप्ति में प्रस्तावित पद संख्या अनुमानित हैं, भविष्य में सेवानिवृत्त/मूल विभाग वापसी इत्यादि अन्य कारणों से पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। उपलब्ध पद संख्या अनुसार अभ्यर्थियों को मैरिट के आधार पर चयन सूची में रखा जायेगा। चयन सूची की वैधता अवधि एक वर्ष होगी।
9. इच्छुक अभ्यर्थी प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उचित माध्यम से प्रस्तुत करेंगे एवं आवेदन की एक अग्रिम प्रति कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल, म.प्र. के पते पर भेजेंगे। आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 26/07/2023 कार्यालयीन समय तक है।

साक्षात्कार में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर दर्शित की जावेगी। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट mprda.org/default.html पर उपलब्ध है। भर्ती से संबंधित अतिरिक्त जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में दूरभाष क्र. 0755-4002632 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकेगी।

10. प्राधिकरण द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति को एवं चयन की समस्त प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।



4/7/2023

मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल

Advertisement No

10480 Dt. 04-07-2023

Application form for the post of –

.....

Application form

No
(for office use only)

Recent coloured
P.P. size photo
graph attested by
self

1. Name of the post (Applied for) : ----- (Please tick)
Deputation ☐ **Contract** ☐
2. Name of applicant :
(Name) (Surname)
3. Father's name :
(Name) (Surname)
4. Parent Department :
(With full Address)
.....
5. Permanent address :
.....PIN.....
6. Present address :
.....PIN.....
7. Date of birth : .../.../... (In words)
(Attested true copy of mark sheet of Higher Secondary School Certificate Examination /equivalent examination exhibiting date of birth)
8. Age as on the date of Advertisement : Years Months Days
9. Category (Please tick) : Unreserved/ OBC/ SC/ ST
(Self attested true copy of caste certificate in case of OBC/SC/ST candidate)
10. Home district :
11. Educational qualification details :
(1) Post Graduation : Degree Specialisation in
(2) Graduation : Degree Subject
(3) Others (Diploma / ITI
etc.) : Description
12. Service and experience details :
(a) Parent Department/ :
Department from which retired
(b) Details of organization :
(c) If working, then, present Post :

- (d) If working then address of the present office:
- (e) If retired, then, name of the post from which retired :.....
- (f) Designation at first posting :
- (g) Name/post and full Address and email of office who will provide CR Grading and vigilance details will have to be asked for :
- (h) If working, then present pay scale :
- (As per present applicable pay rules)
- (i) Present basic pay :. Rs
- (Enclose latest Pay slip)
- (J) If retired, then last pay details
- (Please attach LPC & copy of PPO)
- (K) Post wise experience (as on date of publication of advertisement)

Please list experience starting from the post on which first joined

SNo	Institution/Department	Post	Period		Brief Descriptions of duty/work
			From	To	

Computer Knowledge- Do you have experience /Knowledge of :-

SNo	Application/Accounting Software	Yes/No	Remarks
i	MS Word		
ii	MS Excel		
iii	MS Power Point		
iv	MS Access		
v	Tally		
vi	other (Please specify)		

(L) Total length of service (as on date of publication of advertisement)

:.....YearsMonths Days.

13. PAN (if available)

:

(Attested true copy:)

14. Cell phone no.

:

15. Personnel Email ID

:

(Signature of applicant)

Name of the applicant:

Declaration

I hereby declare that no criminal proceedings /Departmental enquiry of any nature is pending against me. I further declare that information supplied by me in, the application form and its supplementary parts and enclosures annexed to it; are true to the best of my knowledge & belief. My selection to the post may be cancelled and suitable action may be taken, if information furnished by me in Application form is found false or incorrect at any point of time in future.

Date :

(Signature)

Place :

Name of the applicant:

Encl –
